

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		आदालत के प्रमाणित दस्तावेजों के बिना जिनके अंतर्लोकन करने से विवाहित आदमी सिलिंग आधिनिमम के तहत अवधि से सिवाय कुछ ऐसा स्पष्ट होती है। सिलिंग आधिनिमम 1923 की धारा 36 में स्पष्ट मांथन है कि कोई सिलिंग या राजस्व व्यापार किसी ऐसे तबूत या मजले पर निर्धार नहीं होगी या विचार नहीं होगी जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को निर्दिष्ट करने का या विचार करने का अधिकार हो एवं किसी सिलिंग या राजस्व व्यापार को धर्म के अन्तर्गत लिये विनिर्दिष्ट पालना के रावे को धारण करने या कार्यवाही करने का वैधानिक अधिकार नहीं होगा जिससे राज्य सरकार के इस अधिनियम के अंतर्गत आधिकारिक धर्म के अधिकार पर असर डालता है तथा प्राचीन का उक्त आदमी पर कोई स्वायत्तता भी नहीं है। अतः प्रकाश दृष्टलक्ष मजल शर्त के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से अपूर्वीय धर्म व सुविधा के संतुलन का किन्तु भी प्रमाणित नहीं होने से प्रायः दलील योग्य नहीं होने से अस्तव्य निवेदना का प्राप्ति स्वरूप किया गया। फरवरी 2017 नम्बर से ज्ञात हो। अदालत मजले आम में सुनाया गया।

सपक्ष अधिकारी
 सामरलेक